(1)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व वाद :– 179/16 अन्तर्गत धारा 188 Rt Act

अनवान :–

वादीगण :– 1. डालू 2.वाला 3.चिमा 4.आसू पि. वीरमा, जाति जाट
निवासी बुरहान का तला, तहसील सेड़वा

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. सरपंच ग्राम पंचायत बुरहान का तला
2.नानगा 3.हरदान पि. अना, जाति जाट
निवासी बुरहान का तला, तहसील सेड़वा , जिला बाड़मेर।
4.तहसीलदार सेड़वा

वकील वादीगण :– श्री रूपसिंह राठौड़ , श्री शाकर खान

सहायक कलक्टर चौहटन

निर्णय

दिनांक 04.05.2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा सं. 1273/421 रकबा 25.03 बीघा मौजा बुरहान का तला, तहसील सेड़वा में आया हुआ है। वादीगण के उक्त खेत खसरा सं. 1273/421 रकबा 25.03 बीघा भूमि के सेढा–सेढ़ कटाण सड़क है तथा सड़क के पास प्रतिवादी सं. 2 व 3 की खातेदारी का खेत खसरा सं. 921/356 तथा एक तरफ राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलाम का तला की कटाण भूमि आयी हुई है जिसके खसरा सं. 927/350 रकबा 03.00 बीघा है। वर्तमान में ग्राम पंचायत बुरहान का तला द्वारा ग्रेवल सड़क व आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है, चूंकि आंगनवाड़ी केन्द्र विद्यालय की कटाण भूमि में स्वीकृत है लेकिन ग्राम पंचायत वादीगण के खातेदारी के उक्त खेत में आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने की कोशिश कर रही है। ग्राम पंचायत द्वारा एक और कार्य बिना पैमाइश किये ग्रेवल सड़क की कटाण भूमि को छोड़कर जबरन वादीगण के खेत में बिछाने की कोशिश की जा रही है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अगर

सहायक कलक्टर
चौहटन

आंगनवाड़ी केन्द्र को उसकी स्वीकृत भूमि पर व सड़क को कटाण भूमि पर नाप करके बनाया जाता है तो वादीगण को कोई आपति नहीं है, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण को परेशान करने की नियत से द्वेष भाव से जानबूझकर उक्त निर्माण कार्य वादीगण के खेत में बनाने की की कोशिश की जा रही है। जिसके लिए ट्रेक्टर लगाकर अर्थ वर्क करने की तैयारी कर ली गई है, चूंकि वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को जबरन वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के उक्त खातेदारी भूमि पर आंगनवाड़ी एवं सड़क का निर्माण करवाने में सफल हो जाता है तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में नहीं हो सकेगी । अतः वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार के आंगनवाड़ी केन्द्र या ग्रेवल सड़क बिछाने का कार्य नहीं करे, मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद पेश कर वादीगण द्वारा इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में वादीगण वकील द्वारा नकल जमाबन्दी मौजा बुरहान का तला के खसरा सं. 1273/421 व 927/358 संवत् 2072–2075, नक्शा ट्रेस मौजा बुरहान का तला के खसरा सं. 1273/421, 921/356, 927/350 की प्रमाणित प्रतिया पेश की ।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बुरहान का तला में पेश हुई। वादीगण की ओर से वादीगण सं. 3 चिमाराम उपस्थित हुए। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा सं. 1273/421 रकबा 25.03 बीघा मौजा बुरहान का तला, तहसील सेड़वा में आया हुआ है। वादीगण के उक्त खेत खसरा सं. 1273/421 रकबा 25.03 बीघा भूमि के सेढा–सेढ़ कटाण सड़क है तथा सड़क के पास प्रतिवादी सं. 2 व 3 की खातेदारी का खेत खसरा सं. 921/356 तथा एक तरफ राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलाम का तला की कटाण भूमि आयी हुई है जिसके खसरा सं. 927/350 रकबा 03.00 बीघा है। जिस पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आंगनवाड़ी एवं ग्रेवल सड़क निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। वादीगण द्वारा पेश जमाबन्दी नकल संवत् 2072 – 2075 मौजा बुरहान का तला के खसरा सं. 1273/421 का अवलोकन किया गया, जिसमें वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त के रेकर्डेड खातेदार है । प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का निर्माण करते है तो वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

चूंकि वादीगण अपनी भूमि के मालिक है। वो अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते है। वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 आंगनवाड़ी एवं सड़क का निर्माण करवाने में सफल हो जाता है तो वादीगण को

सहायक कलक्टर
चौहटन

अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में नहीं हो सकेगी । प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण को परेशान करने की नियत से द्वेष भाव से जानबूझकर उक्त निर्माण कार्य वादीगण के खेत में बनाने की कोशिश की जा रही है। अतः अपूर्णीय क्षति वादीगण को हो रही है।

इस प्रकार न्यायालय के मतानुसार वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः आदेश है कि वादीगण का वाद पत्र धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। आज्ञा है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खसरा सं. 1273/421 रकबा 25.03 बीघा मौजा बुरहान का तला, तहसील सेड़वा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य एवं दखलन्दाजी नहीं करे और न ही किसी और से करवाये। निर्णय आज लोक अदालत / कोर्ट कैम्प बुरहान का तला में दिनांक 04.05.2018 को लिखाया जाकर मजमे आम में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर चौहटन सत्यमेव जयते

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर चौहटन